न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हंसमुख कुमार आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 55/2018

वादिनी :–

1. मोहनी देवी धर्मपत्नि चुन्नीलाल वर्ष जाति मेघवाल निवासी सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण : –

1. पुकाराम पुत्र देवाराम
2. भीका पुत्री देवाराम
3. शान्ति पुत्री देवाराम जातियान् मेघवाल, निवासी धींगाणा, तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान जोधपुर।
6. हरीराम पुत्र श्री हेमाराम
7. पुखराज पुत्र श्री हेमाराम
8. लिछमण पुत्र श्री हेमाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बाणियावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. वादिनी की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता रामसुख शर्मा व राकेश शर्मा

दिनांक : 27-3-2026

–:: निर्णय :: –

1. वादिनी की ओर से एक दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि तत्तकालीन सह खातेदार हरिराम पुखराज लिछमण एवं श्रीमती अणची से उनके खातेदारी का खेत खसरा का खेत खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि ग्राम मौजा धिंगाणा पटवार क्षेत्र खारा बेरा, पुरोहितान रोकड़ रूपये 46000/– अक्षरे छियालीस हजार रूपये देकर जरिये पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 15/09/200 को क्रय की थी। बैचाननामा जिल्द संख्या–18 पृष्ठ संख्या–51 क्रम संख्या–279 पर पंजीबद्ध किया गया। वादिनी का मौके पर कब्जा प्राप्त एवं बरकरार है, लेकिन वादीनी के नाम नामान्तरण पत्र नहीं भरा गया। वादिनी द्वारा क्रमय की गई मुतनाजा भूमि का नाम विक्रेता के नाम से रही चला आ रहा है। खातेदार श्रीमती अणची (तात्कालीन सह खातेदार) का दिनांक 23/08/2013 को स्वर्गवास हो जाने से तथा मुतनाजा भूमि में उसका सह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड यथावत नाम जारी रहने से मृतक के उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से फौतेदगी म्यूटेशान पारित कर दिया गया। बिनाय वाद दिनांक 10.05.2018 को पैदा हुआ, जब उसने वादी से मुतनाजा क्रय किया गया खेत ख.स. 162 रकबा 20 बीघा का पंजीबद्ध बैचान दिनांक 15.09.2000 का म्यूटेशन वादिनी के पक्ष में भरे जाने बाबत् संपर्क किया एवं संबंधित राजस्व रैकर्ड की प्रति प्राप्त की तो उसे प्रश्नगत फौतेदगी म्यूटेशन का ज्ञान हुआ। अतः वादिनी द्वारा वाद पेश कर खेत खसरा 162 रकबा 20 बीघा का सहखातेदार घोषित किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किये जाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

2. वाद पेश होने पर कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। जिनकी तामिली नियमानुसार प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता रामसुख शर्मा ने प्रकरण में जवाबदावा एवं वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाबदावा पेश कर वादिनी के वाद गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश होने से एवंम बिना वादकारण होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादिनी के वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः–

1. आया ग्राम धिंगाणा की वादग्रस्त भूमियों के खसरा 162 रकबा 54.10 बीघा भूमि में वादिनी उक्त वादग्रस्त भूमि का घोषणा करवाने की वह अधिकारिणी हैं। – (जिम्मे वादिनी)
2. आया वादिनी वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी है। – (जिम्मे वादिनी)
3. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को जमीन बेचान नहीं गई यह गलत तथ्य हैं। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
4. आया वादिनी वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी का घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है – (जिम्मे प्रतिवादीगण)
5. अनुतोष।

उपरोक्त तनकीयात कायम करने के पश्चात् वादिनी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 स्वयं मोहनी देवी व दस्तावेजी साक्ष्य में मूल बैचाननामा मूल जमाबंदी ख.न. 162 व मूल नामान्तरकरण संख्या 485 प्रदर्शित करवाए। प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के वाद के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। उभय पक्षकारान् विद्वान अधिवक्तागण की तनकीवार बहस सुनी गई।

तनकी संख्या–01

"आया ग्राम धिंगाणा की वादग्रस्त भूमियों के खसरा 162 रकबा 54.10 बीघा भूमि में वादिनी उक्त वादग्रस्त भूमि का घोषणा करवाने की वह अधिकारिणी है।" इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था। वादिनी ने अपने बहस में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को दौहराते हुए यह अभिकथन किया कि तत्कालीन सह खातेदार हरिराम पुखराज लिछमण एवं श्रीमती अणची से उनके खातेदारी का खेत खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 15/09/2000 को क्रय की थी। वादिनी का मौके पर कब्जा प्राप्त एवं बरकरार है, लेकिन वादीनी के नाम नामान्तरण पत्र नहीं भरा गया। वादिनी द्वारा क्रय की गई मुतनाजा भूमि का नाम विक्रेता के नाम से रही चला आ रहा है। वादिनी खेत खसरा 162 रकबा 20 बीघा का बेचाननामा के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारिणी है। **पी.डब्ल्यू–01** मोहनी देवी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में भी यह कथन किया कि वादिनी उक्त बेचाननामा के आधार पर मौके पर कब्जाकाश्त है लेकिन वादिनी के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा गया। वादिनी द्वारा फॉर्म 3 के संलग्न बैचाननामा दिनांक 15.09.2025 का पेश किया है जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या तत्तकालीन सह खातेदार हरिराम पुखराज लिछमण एवं श्रीमती अणची द्वारा उनके खातेदारी का खेत खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि का बेचान वादिनी को होना प्रतीत होता है। वादिनी द्वारा उक्त बेचाननामे के आधार पर नामान्तरकरण नहीं होना बताया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश अपने जवाब में कथन किया कि दावे के पद संख्या 1 में वर्णित 20 बीघा एवं पड़ौस वाली काश्त की जमीन में से 20 बीघा जमीन प्रतिवादीगण ने वादिनी को बेचान नहीं की है तथा न ही प्रतिफल की राशि रूपये 46000 अक्षरे लेकर कोई बेचाननामा निष्पादित करवाया है। वादीनी द्वारा रूपये उधारी की लिखा पढ़ी का बताकर धोखाधड़ी एवं छल कपट कर बेचाननामा किया है जो कि अवैध शून्य एवं प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ कानूनीया बेअसर है। दावाकृत जमीन आज भी प्रतिवादी के मालिकाना हक एवमं कब्जे में है तथा जमीन का उपयोग एवं उपभोग प्रतिवादीगण ही कर रहे है। पत्रावली के अवलोकन एवं बेचाननामे के निरीक्षण से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रथम दृष्टया वादिनी ने प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेचान की गई विवादग्रस्त कृषि भूमि पर वादपत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया कि तथाकथित बेचान अवैध शून्य एवं प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ कानूनीया बेअसर है। बेचाननामा निरस्त करवाने हेतु अलग से दावा सिविल कॉर्ट में पेश किया जायेगा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब में बेचाननामा निरस्त करवाने के संबंध में सिविल कॉर्ट दावे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादिनी वादग्रस्त भूमि में बेचाननामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अतः तनकी संख्या 1 वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–02 : – "आया वादिनी वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी है" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। तनकी सं. 1 के विवेचन से यह सिद्ध होता है कि वादिनी वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि बाबत् सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वादिनी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति अपने पक्ष मे सिद्ध करने मे सफल रही है। ऐसी स्थिति मे वादिनी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के हिस्से की भूमि के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह तनकी भी वादिनी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–03 : – "आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को जमीन बेचान नहीं गई यह गलत तथ्यें हैं। यह तनकी भी प्रतिवादीगण को सिद्ध करनी थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश अपने जवाब में कथन किया कि वादीनी द्वारा रूपये उधारी की लिखा पढ़ी का बताकर धोखाधड़ी एवं छल कपट कर बेचाननामा किया है जो कि अवैध शून्य है। दावाकृत जमीन आज भी प्रतिवादी के मालिकाना हक एवमं कब्जे में है तथा जमीन का उपयोग एवं उपभोग प्रतिवादीगण ही कर रहे है। हमने वादिनी के पक्ष में निष्पादित दोनो बेचाननामे का निरीक्षण किया गया जो कि विधिवत् एवं नियमानुसार निष्पादित होना प्रतीत होते है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बेचाननामे को नल एण्ड वोईड करार होने से निरस्त करवाने का कथन किया जो इस न्यायालय क्षेत्र में नहीं आता है। एक राजस्व न्यायालय को पंजीबद्ध बेचाननामा निरस्त करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब में बेचाननामा निरस्त करवाने के संबंध में सिविल कॉर्ट दावे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वादिनी द्वारा पेश बैचाननामा दिनांक 15.09.2000 के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या तत्तकालीन सह खातेदारों द्वारा द्वारा उनके खातेदारी का खेत खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि का बेचान वादिनी को होना प्रतीत होता है। तनकी संख्या 3 "वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को जमीन बेचान नहीं गई" प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे। अतः तनकी संख्या 3 वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–04 : – "आया वादिनी वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी का घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।" इस तनकी पर निर्णय लेने से पहले ही तनकी संख्या 01 वादिनी द्वारा अपने वाद, साक्ष्य एवं बहस में किए गये कथनो एवं तर्कों का भार प्रतिवादीगण से ज्यादा होने से वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। वाद में 03 प्रमुख तनकी पहले ही वादिनी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है तथा तनकी संख्या 4 भी तनकी संख्या 1 से संबंधित है जिसके निर्णय अनसुार वादिनी वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी का घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि बैचाननामा दिनांक 15.09.2000 के अनुसार तत्तकालीन सह खातेदारों से उनके खातेदारी का खेत खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 15/09/2000 को क्रय की थी। वादिनी का मौके पर कब्जा प्राप्त एवं बरकरार है, लेकिन वादीनी के नाम नामान्तरण पत्र नहीं भरा गया। वादिनी द्वारा क्रय की गई मुतनाजा भूमि का नाम विक्रेता के नाम से रही चला आ रहा है। वादिनी खेत खसरा 162 रकबा 20 बीघा का बेचाननामा के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारिणी है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से वादिनी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया वाद में तनकी सं. 1, 2, 3 व 4 अपने पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 के विरूद्ध सिद्ध करने मे सफल रही है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण एवं तनकीवार निर्णयो के आधार पर वादिनी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

– : आदेश : –

अतः वादिनी का वाद स्वीकार कर दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है व इस आशय की डिक्री दी जाती है कि ग्राम धिंगाणा पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी के मूल खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि के हक–हिस्से का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा उक्त खसरा के पश्चावर्ती समस्त अमल दरामद निरस्त किये जाते है। तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादिनी का नाम दर्ज करे व वादिनी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप व काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे। इस आशय की डिक्री पर्चा जारी हो व निर्णय की पालना में तहसीलदार, लूणी को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय आज दिनांक 27-3-2026 को सर्रे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 55/2018

वादिनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनी देवी धर्मपत्नि चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।		1 पुकाराम पुत्र देवाराम 2 भीका पुत्री देवाराम 3 शान्ति पुत्री देवाराम जातियान् मेघवाल, निवासी धींगाणा, तहसील लूणी जिला जोधपुर 4 तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। 5 सरपंच ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान जोधपुर। 6 हरीराम पुत्र श्री हेमाराम 7 पुखराज पुत्र श्री हेमाराम 8 लिछमण पुत्र श्री हेमाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम बाणियावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 55/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः वादिनी का वाद स्वीकार कर दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है व इस आशय की डिक्री दी जाती है कि ग्राम धिंगाणा पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी के मूल खसरा संख्या 162 रकबा 54.10 बीघा में से 20 बीघा भूमि के हक–हिस्से का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा उक्त खसरा के पश्चावर्ती समस्त अमल दरामद निरस्त किये जाते है। तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादिनी का नाम दर्ज करे व वादिनी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप व काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..... .....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27-3-2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–	–

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी